न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 210/2022

सरकार जरिये अनुराग बेरवाल, प्रर्वतन निरीक्षक, खेतडी।

––प्रार्थी

बनाम

श्री नेमीचन्द पुत्र श्री तेजाराम, जाति कुमावत, निवासी वार्ड संख्या 20, कोलिहान नगर, खेतडी, जिला झुंझुनूं।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत जब्तशुदा सामग्री को राजसात करने बाबत।

––

उपस्थितः–

1. श्री रामावतार, विभागीय प्रतिनिधि–प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र कुमावत, एडवोकेट– अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 06.07.2022

प्रार्थी के अनुसार प्रार्थना पत्र निम्नानुसार पेश है कि दिनांक 16.06.2022 को मुझ प्रर्वतन निरीक्षक खेतडी अनुराग बेरवाल द्वारा तहसील खेतडी के कोलिहान नगर मे स्थित जोधपुर मिष्ठान भण्डार की मौके पर पहुंच कर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की गई। मौका स्थल पर गोठडा खेतडीनगर मार्ग कोलिहान नगर बस स्टेण्ड पर स्थित जोधपुर मिष्ठान भण्डार पर उपस्थित श्री बुद्विप्रकाश पुत्र श्री नेमीचन्द उपस्थित मिले। मौके पर प्रतिष्ठान के मालिक के बारे मे जानकारी पूछने पर श्री बुद्विप्रकाश द्वारा अपने पिता श्री नेमीचन्द को मौके पर बुलाया जिन्होने स्वयं की जानकारी नेमीचन्द पुत्र श्री तेजाराम, जाति कुमावत, निवासी वार्ड संख्या 20, कोलिहान नगर, खेतडी बताई व स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक बताया तथा स्वयं की उपस्थिति मे निरीक्षण करवाया। मौका स्थल पर प्रतिष्ठान मे पीछे की ओर बडे बरामदे मे कार्यशील रसोई के परिसर की जांच करने पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4 रबर पाईप जिनमे 2 पाईप के उपर 1 ईंच व्यास व लगभग 3 फीट के अतिरिक्त प्लास्टिक पाईप से कवर्ड, 1 पाईप जिस पर अतिरिक्त कवर्ड रबर की पाईप लगभग 3 फीट व 1 पाईप से 4 पीतल के प्रेशर रेगुलेटर से 4 भट्टियों से जुडे पाये गये। उक्त भट्टियों मे से 3 भट्टियां बडी व 1 भट्टी छोटी जुडी हुई पाई गई। चारों भट्टियों मे से मौके पर 2 चालू अवस्था मे पाई गई तथा दोनों भट्टियों पर क[illegible] हुए पाया गया। उक्त चारों घरेलू गैस सिलेण्डर के साथ सिलेण्डर कैप डोरी से बंधी पाई गई। मौके पर प्रतिष्ठान मालिक श्री नेमीचन्द से पूछताछ करने पर उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के संबंध मे कोई जानकारी नही दी गई तथा न ही इस संबंध मे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार श्री नेमीचन्द पुत्र तेजाराम मालिक जोधपुर मिष्ठान भण्डार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुरूपयोग करना पाया गया है। वर्णित तथ्यों के आधार पर मौके पर उपलब्ध 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4 रबर पाईप जिनमे से 2 पाईप के उपर 1 ईंच व्यास व लगभग 3 फीट के अतिरिक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्लास्टिक पाईप से कवर्ड, 1 पाईप जिस पर अतिरिक्त कवर्ड रबर की पाईप लगभग 3 फीट व 1 पाईप मय 4 पीतल के प्रेशर रेगुलेटर एवं 4 भट्टियों (3 भट्टियां बडी व 1 भट्टी छोटी) को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन पाये जाने पर आदेश की धारा 13(1) (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुशरण मे जब्त राज लिया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से उक्त सामग्री मौके पर बुलवाये गये वायुसैनिक गैस एजेन्सी खेतडी एच0पी0सी0एल0 के व्यवस्थापक/प्रतिनिधि श्री विजय कुमार पुत्र श्री मालीराम की सुपुर्दगी मे दिया गया। मौके का नजरी/मौका नक्शा बनाया गया। फर्द जप्ती की एक प्रति श्री नेमीचन्द को दी गई व एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गये। श्री नेमीचन्द के आधार कार्ड की प्रति, प्रतिष्ठान के एफएसएसएआई सर्टिफिकेट की प्रतियां ली जाकर श्री नेमीचन्द के हस्ताक्षर लिये गये। आवश्यक हस्ताक्षर फर्द मौका, नजरी नक्शा, फर्द मौका जप्ती, सुपुर्दगीनामा पर लिये गये। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री नेमीचन्द पुत्र श्री तेजाराम, जाति कुमावत निवासी वार्ड संख्या 20, कोलिहान नगर, खेतडी मालिक जोधुपर मिष्ठान भण्डार, कोलिहान नगर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुरूप्योग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लाउज 13(1)(ग) व 7(1)(ग) के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा सामग्री 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4 रबर पाईप जिनमे से 2 पाईप के उपर 1 ईंच व्यास व लगभग 3 फीट के अतिरिक्त प्लास्टिक पाईप से कवर्ड, 1 पाईप जिस पर अतिरिक्त कवर्ड रबर की पाईप लगभग 3 फीट व 1 पाईप मय 4 पीतल के प्रेशर रेगुलेटर एवं 4 भट्टियों (3 भट्टियां बडी व 1 भट्टी छोटी) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने के आदेश फरमावे।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी को घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लाउज 13(1)(ग) व 7(1)(ग) का उल्ल्घंन करते पाये जाने पर मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4 रबर पाईप जिनमे से 2 पाईप के उपर 1 ईंच व्यास व लगभग 3 फीट के अतिरिक्त प्लास्टिक पाईप से कवर्ड, 1 पाईप जिस पर अतिरिक्त कवर्ड रबर की पाईप लगभग 3 फीट व 1 पाईप मय 4 पीतल के प्रेशर रेगुलेटर एवं 4 भट्टियों (3 भट्टियां बडी व 1 भट्टी छोटी) जप्त किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे स्वीकार कर जप्तशुदा सामग्री को राजसात करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी ने जबाब प्रस्तुत कर बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी के घर व दुकान एक ही परिसर मे है। अप्रार्थी अपनी दुकान पर व्यावसायिक सिलेण्डरों का ही उपयोग करता है। उस दिन अप्रार्थी की दुकान पर व्यासायिक सिलेण्डर खत्म होने से अनजाने मे व नियमों की जानकारी के अभाव मे घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग कर लिया है। अप्रार्थी फिर कभी ऐसा कृत्य नही करेगा। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी ने जबाब व [illegible] स्वीकार किया है कि उसने अनजाने मे व नियमों की जानकारी के अभाव मे घरेलू [illegible] उपयोग किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुरूपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लाउज 13(1)(ग) व 7(1)(ग) के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्तशुदा सामग्री 4 घरेलू [illegible] सिलेण्डर मय 4 रबर पाईप जिनमे से 2 पाईप के उपर 1 ईंच व्यास व लगभग 3 फीट के अतिरिक्त प्लास्टिक पाईप से कवर्ड, 1 पाईप जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अतिरिक्त कवर्ड रबर की पाईप लगभग 3 फीट व 1 पाईप मय 4 पीतल के प्रेशर रेगुलेटर एवं 4 भट्टियों (3 भट्टियां बडी व 1 भट्टी छोटी) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मण सिह कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.07 13:26:43 IST
Reason: SelfAttested